

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन,भोपाल

क्रमांक  
प्रति-

/५३२/आउशि/छा/2017

भोपाल,दिनांक

- 1— कुल सचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।
- 2— प्राचार्य,  
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।
- 3— प्राचार्य,  
समस्त शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- वर्ष 2017-18 में गॉव की बेटी, प्रतिभा किरण एवं विकमादित्य योजना को पूर्णतः ऑनलाईन ही कियान्वित किये जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1241/297/आउशि/छा/16 दिनांक 14-10-2016 एवं पत्र क्रमांक 311/419/आउशि/छा/17 दिनांक 14-2-2017

विषयांतर्गत लेख है कि विगत शैक्षणिक सत्र 2016-17 से गॉव की बेटी, प्रतिभा किरण एवं विकमादित्य योजनायें का कियान्वयन [www.scholarshipportal.mp.nic.in](http://www.scholarshipportal.mp.nic.in) के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाईन किया गया है। उक्त तीनों योजनाओं के ऑनलाईन पोर्टल पर तकनीकी प्रक्रिया प्रवाह में मार्गदर्शन हेतु विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार से vineet.tiwari@mapit.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रदेश के समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी कर विद्यार्थियों को आवेदन-पत्र ऑनलाईन करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त योजनाओं के संबंध में वर्ष 2017-18 में स्नातक तीनों वर्षों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जायेगा। इन योजनाओं के लिये अन्य माध्यमों (ऑफलाईन/पेपर कॉपी) से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(नीरज मण्डलोई )

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-आयुक्त

उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश.

भोपाल,दिनांक २०-७-१२

पृत्रक्रमांक १२९८/५३२/आउशि/छा/2017

प्रतिलिपि:-

- 1— आयुक्त, तकनीकी शिक्षा,मध्यप्रदेश,सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 2— आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश,सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 3— श्री सुनील जैन,तकनीकी निदेशन,एन.आई.सी. मध्यप्रदेश की ओर उक्त योजनाओं के सफलता पूर्वक कियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने बाबत ।
- 4— समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,क्षेत्रीय कार्यालय,मध्यप्रदेश की ओर संभाग स्तर से उक्त तीनों योजनाओं का ऑनलाईन कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु ।
- 5— श्री विनीत तिवारी, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश. ।

(नीरज मण्डलोई )

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-आयुक्त

उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश.